# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

निवास सिंह बनाम अमिता कुमारी आदि

किस्म मुकदमा 111/128 LR मु.नं. 91 वर्ष 2025

| दिनांक | आज्ञा – पत्र |
|---|---|
| | है कि सीमाविवाद जानबुझकर बढ़ा रहे है तथा सीमा पर पत्थरगड्डी करवाने का खातेदार को कानूनी अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण झगड़ालू प्रकृति के व्यक्ति होने की वजह से पडोसियान की भूमि ना हक दबाकर अतिक्रमण कर रहे है। अतिक्रमी को न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकार हासिल नहीं है। अतः प्रस्तुत आपत्ति 8 माह बाद बिना किसी उचित आधार के प्रस्तुत की है, जो निरस्त की जावें।" |
| | उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली व उक्त आपत्ति आवेदन व जवाब आपत्ति आवेदन का अवलोकन किया गया। विवादित आराजियात के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार से प्राप्त सीमाज्ञान रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में वर्णित अपनी खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान के बाबत रिपोर्ट पेश की है। जो कि प्रथमतः उचित प्रतीत होती है। फिर भी अप्रार्थीगण अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाना चाहे तो वह स्वतंत्र है। लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर हस्तगत प्रकरण में आपत्ति आवेदन पेश किया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होती है। साथ ही वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के आपत्ति आवेदन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किया है, जिससे उनका पक्ष सबल हो। अतः वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का उक्त आपत्ति आवेदन अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। |
| | अतः वकील अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.04.2025 दिनांकित 23.12.2025 को अस्वीकार किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस मूल आवेदन दिनांक 15.04.2026 को पेश हो। |
| | उपखण्ड अधिकारी,<br>धोद जिला सीकर<br>उपखण्ड अधिकारी<br>धोद जिला-सीकर<br>(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला–सीकर (राज.)) |
| 15/04/26 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस मूल आवेदन दि. 27/04/26 को पेश हो। |
| 27/4/26 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के यहां तलब किया है। प्राप्त पत्र की पालना में हस्तगत पत्रावली को माननीय न्यायालय के यहां भिजवायी |
| | उपखण्ड अधिकारी<br>धोद जिला-सीकर<br>(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला–सीकर (राज.)) |

Scanned with OKEN Scanner